न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

(136)

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3528/तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, जावर जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2013-14.

मेहरवान सिंह आ. श्री रंजीतसिंह
निवासी ग्राम मुरावर, तहसील जावर जिला सीहोर .....आवेदक

विरूद्ध

1. कमल सिंह आ. श्री मेहरवान सिंह
2. मानसिंह आ. श्री मेहरवान सिंह
3. रामसिंह आ. श्री मेहरवान सिंह
4. सवाई सिंह आ. श्री मेहरवान सिंह
5. मनोहर सिंह आ. श्री मेहरवान सिंह

सभी निवासी ग्राम मुरावर, तह. जावर जिला सीहोर .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, जावर, जिला सीहोर द्वारा पारित दिनांक 10.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक पक्ष द्वारा ग्राम मुराबर स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की खसरा क्रमांक 427/1 रकबा 2.64 एकड़ एवं 429/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 01/अ-12/2013-14 दर्ज कर दिनांक 4-6-2014 को सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार, जावर, को प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 10-6-2014 को सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने से प्रकरण समाप्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन किये जाने के संबंध में आवेदक को सूचना दिये बगैर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सीमांकन संबंधी ना तो निशानात किये हैं और ना ही दिशायें समझाई हैं एवं मात्र अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त सीमांकन दस्तावेज तैयार किये हैं, जो कि आवेदक पर बंधनकारी नहीं होने से निरस्त किया जावे। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सीमांकन किये बगैर आवेदक की और भूमि खसरा क्रमांक 429/1, रकबा 3.00 एकड़ अंश भाग 0.25 एकड़ पर आवेदक का उत्तर दिशा की ओर एवं खसरा क्रमांक 427/1 रकबा 2.64 एकड़ के सम्पूर्ण भाग पर कब्जा होना दर्शित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त त्रुटि पूर्ण सीमांकन एवं प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन प्रकरण की विधि अनुरूप जांच किये बगैर प्रकरण में आगे शेष कार्यवाही नहीं होने से दिनांक 10.06.2014 को दाखिल रिकॉर्ड किया है। उक्त आदेश विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है, किन्तु आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है, अत: यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं थी । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, जावर, जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर